

प्रतिवेदन (औचित्य)

कार्य का नाम:—मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कॉजवे का निर्माण (वास्तविक लम्बाई 1.300 किमी०)

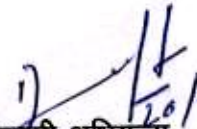
उपरोक्त मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं० 5927/।।। (2) हेतु 19.46 लाख की प्राप्त है। जिसके अन्तर्गत मार्ग का सुधारीकरण कार्य किया गया जाना है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम विजयपुर एवं समस्त क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।

मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे० का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित था। प्रस्ताव पर एफ०आर०सी०एम० की बैठक दिनांक 27.01.2022 में चर्चानुसार मार्ग की लम्बाई 1.70 किमी० से कम कर 1.30 किमी० तथा चौड़ाई 7 मी० कर 0.91 हे० संशोधित कर प्रेषित करने के निर्देशों के क्रम में 0.91 हे० वन भूमि का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को कृषि कारोबार, चिकित्सा, स्कूल आदि में विशेष सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ पर्यटन व्यवसाय को बल मिलेगा। क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। जो व्यापक जनहित में होगा।

अतः 0.91 हे० का संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है।


अपर सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल


अधिसूची अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल